अनुदान संख्या 57 – माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग
GRANT No. 57–DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND HIGHER EDUCATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	4956,54,00	4956,58,00	4740,30,04	–216,27,96
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				209,13,49
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		1,00	. .	–1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2202'' सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	317882.00	319355.38	319046.56	–308.82
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	1471.38			
मुख्य शीर्ष "2203'' तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education				
मू.	O.	147989.00	137277.57	137147.28	–130.29
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–10712.43			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1500.00			
पू.	S.	1.00	2101.00	2100.00	–1.00
पु.	R.	600.00			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	25146.00	12955.75	12952.30	–3.45
पु.	R.	–12190.25			
मुख्य शीर्ष "3602'' संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	447.00	80.55	80.54	–0.01
पु.	R.	–366.45			

(I) 14471.30 लाख रु. का प्रावधान (फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 0.30 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) अड़तीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 13450.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.14471.30 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.30 lakh obtained in February, 2004) remained wholly unutilised under thirty eight heads; of these Rs.13450.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202'' - "माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय - विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान''- 500.00 लाख रु. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम का अनुमोदन न किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2202"- "Secondary Education-Other Expenditure- Information and Communication Technology in Schools-Grants to Union Territories without Legislature"- Rs.500.00 lakhs - due to non-approval of the scheme by the Competent Authority.

(खा) मुख्य शीर्ष "2203'' - "इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान - केन्द्रीय संस्थाओं और क्षेत्रीय इंजीनियरी

(B) Major Head "2203"-"Engineering, Technical Colleges and Institutes - Direct Central Assistance to the Central Institutions and Regional

कालेजों तथा राज्य इंजीनियरी कालेजों को प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता''- 3000.00 लाख रु. व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601'' - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - माध्यमिक शिक्षा- अनुसंधान और प्रशिक्षण''-

(क) "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां''- 9400.00 लाख रु. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ख) "प्रवेश और साम्या''- 350.00 लाख रु. राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न किए जाने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602'' - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - उपस्कर - माध्यमिक शिक्षा - विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां''- 200.00 लाख रु. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2202'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) "माध्यमिक शिक्षा''-

(क) "गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता''-

(i) "मानवीय मूल्यों में शिक्षा के लिए अभिकरणों को सहायता''- 600.00 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शिक्षा में संस्कृति/मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता की स्कीम का विलंब से संशोधन किए जाने के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय''- 600.00 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोएडा में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के भवन के निर्माण कार्य में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(iii) "विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार''- 115.00 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ण कार्रवाई योजना संबंधी क्रियाकलापों को कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित न किए जाने के कारण हुई।

Engineering Colleges and State Engineering Colleges"- Rs.3000.00 lakhs- due to non-finalisation of the scheme by the Expenditure Finance Committee.

(C) Major Head "3601"-"Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Secondary Education-Research and Training"-

(a) "Information and Communication Technologies in Schools"- Rs.9400.00 lakhs – due to non-approval of the scheme by the Competent Authority.

(b) "Access and Equity"- Rs.350.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from the State Governments.

(D) Major Head "3602"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Equipment- Secondary Education- Information and Communication Technologies in Schools"- Rs.200.00 lakhs – due to non-approval of the scheme by the Competent Authority.

(II) Under Major Head "2202"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Secondary Education"-

(a) "Assistance to Non-Government Secondary Schools"-

(i) "Assistance to Agencies for Education in Human Values"- saving of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to late-revision of the scheme of Assistance for Strengthening of Culture/Values in Education.

(ii) "National Open School"-saving of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to slow progress of construction work of the building of National Open School at NOIDA.

(iii) "Quality Improvement in Schools"- saving of Rs.115.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-implementation by the implementing agencies of the activities of the whole plan of action.

(ख) ''अन्य व्यय''-

(i) ''शिक्षा का व्यवसायीकरण - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान''- 146.68 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के संशोधन को देखते हुए अनुमोदन के लिए नए प्रस्तावों पर विचार न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''निशक्त बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा - स्वैच्छिक संगठन''- 550.17 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) ''प्रवेश और साम्या - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान''- 908.11 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए प्रस्तावों पर विचार न किए जाने और वित्त वर्ष के बाद की अवधि में जीआईएसी बैठक का आयोजन किए जाने की वजह से कम संख्या में स्वीकृतियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा''-

(क) ''विश्वविद्यालयों को सहायता - राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय) की स्थापना''- 5144.00 लाख रु. की बचत (6800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इग्नू की स्कीम को जारी रखने और सरकार द्वारा दसवीं योजना के दौरान मुक्त शिक्षण प्रणाली को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को अनुदान''- 410.00 लाख रु. की बचत (1570.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस कारण से हुई कि विश्व पुस्तक पूंजीगत समारोह के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन के साथ प्रगति मैदान में बुक माल के विकास पर प्रस्तावित व्यय किया नहीं जा सका था।

(गा) ''भाषा विकास''-

(क) ''आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन - अन्य स्कीमें''- 185.20 लाख रु. की बचत (फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 0.20 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1365.20 लाख रु.

(b) "Other Expenditure"-

(i) "Vocationalisation of Education- Grants to the Voluntary Organisations"- saving of Rs.146.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to non–consideration of new proposals for approval in view of the revision of the scheme.

(ii) "Integrated Education for Disabled Children Voluntary Organisations"- saving of Rs.550.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals.

(iii) "Access and Equity- Grants to Voluntary Organisations"- saving of Rs.908.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-consideration of fresh proposals and issue of less number of sanctions owing to holding of GIAC meeting later in the financial year.

(B) "University and Higher Education"-

(a) "Assistance to Universities - Establishment of National University (Indira Gandhi National Open University)" – saving of Rs.5144.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6800.00 lakhs) was due to non-approval of continuation of the scheme of IGNOU and open learning system during the 10th plan by the Government.

(b) "Other Expenditure- Grants to National Book Trust"- saving of Rs.410.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1570.00 lakhs) was due to the reason that the proposed expenditure on the development of book Mall at Pragati Maidan in association with International Trade Promotion Organisation in connection with World Book capital celebration could not be incurred.

(C) "Language Development"-

(a) "Promotion of Modern Indian Laguages and Literature- Other Schemes"- saving of Rs.185.20 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1365.20 lakhs including token supplementary grant of

के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा स्कीम के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''संस्कृत शिक्षा - राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान''- 200.00 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उज्जैन में भवन के निर्माण और परिसर के विकास के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(घा) ''सामान्य - अनुसंधान - भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद''- 132.70 लाख रु. की बचत (780.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम आवश्यकता होने तथा संस्थान के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2203'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)'' - 8000.00 लाख रु. की बचत (13000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''प्रशिक्षण''-

(क) ''तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान''- 432.50 लाख रु. की बचत (2800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें, पिछले वर्षों के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुईं।

(ख) ''शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम - छात्रवृत्तियां और वजीफे''- 402.04 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा दिए गए शुद्धि विवरण की वजह से कम अनुदान जारी किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''पालिटेक्नीक - गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए अनुदान - सामुदायिक पालिटेक्नीक''- 5137.36 लाख रु. की बचत (7200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

Rs.0.20 lakh obtained in February, 2004) was due to non-finalisation of proposal for construction of building under the scheme Hindi Shikshan Mandal Agra.

(b) “Sanskrit Education-Grants to Rashtriya Ved Vidya Pratisthan”- saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-approval by the Expenditure Finance Committee for construction of building and development of Campus at Ujjain.

(D) “General - Research - Indian Council of Historical Research” - saving of Rs.132.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.780.00 lakhs) was due to less requirement and availability of unspent balance lying with the institute.

(IV) Under Major head “2203” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E.)” - saving of Rs.8000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13000.00 lakhs); and

(B) “Training”-

(a) “Technical Teachers Training Institutes”- saving of Rs.432.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous years.

(b) “Programme for Apprenticeship Training- Scholarships and Stipends”- saving of Rs.402.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to release of less grants owing to correction statement provided by the Planning Commission.

(C) “Polytechnics-Grants for Quality Improvement Programme - Community Polytechnics”- saving of Rs.5137.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7200.00 lakhs) was

में) व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और सामुदायिक पालिटेक्नीक के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(घा) ''इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान''-

(क) ''भारतीय प्रबंध संस्थान'' - 3968.00 लाख रु. की बचत (7473.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आई. आई. एम. अहमदाबाद, बंगलौर और कोलकाता की आंतरिक आय के कारण हुई।

(ख) ''केन्द्रीय संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता'' - 1490.00 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विषय विशेषज्ञ समिति/राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा कम संख्या में परियोजनाओं को अनुमोदित किए जाने के कारण हुई।

(ङ) ''अन्य व्यय''-

(क) ''प्रौद्योगिकी विकास मिशन'' - 780.00 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी वित्त समिति द्वारा स्कीम का अनुमोदन न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''विदेशी शिष्टमंडलों और विदेशी विशेषज्ञों/अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग पर व्यय'' - 105.82 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ संस्थानों द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''योजनेतर अनुदान - माध्यमिक शिक्षा - छात्रवृत्तियां - हिंदी में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां'' - 129.73 लाख रु. की बचत (140.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान''-

(क) ''सामान्य शिक्षा - छात्रवृत्ति''-

(i) ''माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रतिभावान बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां'' - 279.20 लाख रु की

due to non-finalisation of the scheme by the Expenditure Finance Committee and availability of unspent balance lying with the Community Polytechnics.

(D) "Engineering, Technical Colleges and Institutes"-

(a) "Indian Institute of Managements"-saving of Rs.3968.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7473.00 lakhs) was due to internal incomes of IIMs Ahmedabad, Bangalore and Kolkata.

(b) "Direct Central Assistance to Central Institutions and Regional Engineering College"- saving of Rs.1490.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to less number of projects approved by the Subject Experts Committee / National Expert Committee.

(E) "Other Expenditure"-

(a) "Technology Development Mission"- saving of Rs.780.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme by the Standing Finance Committee.

(b) "Expenditure on Foreign Delegations and Foreign Experts/International Technical Co-operation"- saving of Rs.105.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals from some institutions.

(V) Under Major Head "3601"-savings occurred under the following heads:-

(A) "Non Plan Grants –Secondary Education-Scholarships- Scholarship to Students from Non-Hindi Speaking States for Post Metric Studies in Hindi"- saving of Rs.129.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.140.00 lakhs);

(B) "Grants for Central Plan Schemes"-

(a) "General Education- Scholarships"-

(i) "Scholarships for Talented Children from Rural Areas at Secondary stage"-saving of

बचत (281.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iii) ''राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम''- 463.15 लाख रु. की बचत (475.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(ख) ''सामान्य शिक्षा - अन्य अनुदान - एरिया इनटेन्सिव और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम''- 250.00 लाख रु. की बचत (3150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रस्ताव और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(क) ''माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण - विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार''- 1266.00 लाख रु. की बचत (1825.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान - शिक्षा का व्यवसायीकरण''- 3993.46 लाख रु. की बचत (4700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए पाठ्यक्रमों के प्रवेश, नए विद्यालयों/संस्थानों के चयन के लिए प्रस्तावों पर विचार न किए जाने के कारण हुई।

(VI) दस शीर्षों के अंतर्गत 761.83 लाख रु की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 56 प्रतिशत तक थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (29596.95 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि फरवरी, 2004 में 4.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध- II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

Rs.279.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.281.00 lakhs); and

(ii) "National Scholarships Scheme"- saving of Rs.463.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.475.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of proposals from some State Governments.

(b) "General Education- Other Grants- Area Intensive and Madarsa Modernisation programme" - saving of Rs.250.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3150.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals and utilisation certificates from State Governments.

(C) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"-

(a) "Secondary Education-Research and Training- Quality Improvement in Schools"- saving of Rs.1266.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1825.00 lakhs) was due to non–receipt of feasible proposals from the State Governments.

(b) "Secondary Education – Other Grants- Vocationalisation of Education"- saving of Rs.3993.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4700.00 lakhs) was due to non-consideration of proposals for introduction of new courses, selection of new schools/institutions.

(VI) Under ten heads savings of Rs.761.83 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 14 percent to 56 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.29596.95 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.4.00 lakhs in February, 2004 and vide Annexure II to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "2202"-

(का) "माध्यमिक शिक्षा"-

(क) "अनुसंधान और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को अनुदान"- 390.30 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 390.09 लाख रु. था।

(ख) "गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता"-

(i) "केन्द्रीय विद्यालय संगठन"- 1757.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1756.80 लाख रु. था।

(ii) "आदर्श विद्यालयों(नवोदय विद्यालय) की स्थापना"- 7956.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7955.90 लाख रु. था।

(ग) "अन्य व्यय - उल्लानबतूर, मंगोलिआ में संयुक्त भारत-मंगोलियन विद्यालय की स्थापना"- 52.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 51.90 लाख रु. था।

(खा) "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता - विश्वविद्यालय अनुदान आयेग"- 1850.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1849.00 लाख रु. था।

(II) मुख्य शीर्ष "2203"-

(का) "तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता - भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान" - 1300.00 लाख रु। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1299.85 लाख रु. था।

(खा) "इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान"-

(क) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान"- 6053.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 6052.85 लाख रु. था।

(ख) "भारतीय सूचना तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद"- 550.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 549.85 लाख रु. था।

(ग) "अन्य व्यय - तकनीकी शिक्षा - भारत सरकार की गुणवत्ता सुधार परियोजना"- 5047.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5046.75 लाख रु. था।

(I) Major Head "2202" -

(A) "Secondary Education"-

(a) "Research and Training- Grants to National Council of Educational Research and Training"- Rs.390.30 lakhs. Actual excess, however, was Rs.390.09 lakhs.

(b) "Assistance to Non-Government Secondary Schools" -

(i) "Kendriya Vidyalaya Sangathan"- Rs.1757.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1756.80 lakhs.

(ii) "Setting up of Model Schools (Navodaya Vidyalayas)"- Rs.7956.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.7955.90 lakhs.

(c) "Other Expenditure –Setting up of Joint Indo-Mongolian School at Ullanbatoor, Mangolia"- Rs.52.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.51.90 lakhs.

(B) "University and Higher Education – Assistance to Universities- University Grants Commission"- Rs.1850.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1849.00 lakhs.

(II) Major Head "2203"-

(A) "Assistance to Universities for Technical Education - Grants to Indian Institute of Science, Bangalore"- Rs.1300.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1299.85 lakhs.

(B) "Engineering, Technical Colleges and Institutes" -

(a) "Indian Institutes of Technology"- Rs.6053.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.6052.85 lakhs.

(b) "Indian Institute of Information and Technology, Allahabad" - Rs.550.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.549.85 lakhs.

(c) "Other Expenditure - Technical Education - Quality Improvement Project of Government of India" - Rs.5047.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5046.75 lakhs.

(III) मुख्य शीर्ष "2552'' - "पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास - पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर''- 600.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 599.00 लाख रु. था।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601''-

(का) "योजनेतर अनुदान - विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा - अन्य अनुदान - विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के वेतनमान में सुधार''- 2939.00 लाख रु.।

(खा) "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भाषा विकास - संस्कृत शिक्षा - संस्कृत शिक्षा का विकास''- 150.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 146.56 लाख रु. था।

(गा) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - माध्यमिक शिक्षा - उपस्कर - निशक्त बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा''- 892.00 लाख रु.।

(V) मुख्य शीर्ष "3602'' - "योजनेतर अनुदान - तकनीकी शिक्षा - गैर सरकारी तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता - तकनीकी संस्थानों के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन - संघ राज्य क्षेत्रों में संस्थानों/कालेजों को सहायता''- 60.65 लाख रु.।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, मुख्य शीर्ष " 4202'' - "शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत एक मामले में 1.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः इसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

(III) Major Head "2552"—"Development of North Eastern Areas - North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar"- Rs.600.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.599.00 lakhs.

(IV) Major Head "3601" –

(A) "Non-Plan Grants - University and Higher Education - Other Grants - Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers" - Rs.2939.00 lakhs.

(B) "Grants for Central Plan Schemes – Language Development-Sanskrit Education – Development of Sanskrit Education"- Rs.150.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.146.56 lakhs.

(C) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Secondary Education- Equipment- Integrated Education for Disabled Children"- Rs.892.00 lakhs .

(V) Major Head "3602" - "Non-Plan Grants - Technical Education - Assistance to Non-Government Technical Colleges and Institutes - Revision of Pay Scales of Teachers of Technical Institutions - Assistance to Institutions/Colleges in UTs" - Rs.60.65 lakhs.

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised in one case under Major Head "4202"-"Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture" and was eventually surrendered.